

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं0सं0-1/विविध-13/2017- 305(1) /स्वा0, पटना, दिनांक- 17/ 3 /2017

शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति, बिहार, पटना के चालू खाते के संचालन हेतु डॉ0 अशोक कुमार यादव, उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को प्राधिकृत किया जाता है।

2- शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति के कार्यालय के सुदृढ़ एवं क्रियाशील होने तक समिति के लेखा संबंधी कार्यों में आवश्यक सहयोग लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रदान किया जायेगा।

3- इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

4- यह आदेश तुरंत प्रभाव से प्रभावी होगा।


16.3.17

(अनिल कुमार)


सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:-1/विविध-13/2017- 305(1) /स्वा0, पटना, दिनांक- 17/ 3 /2017

प्रतिलिपि:- अध्यक्ष, शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति, बिहार, पटना/डॉ0 प्रभात कुमार, परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/डॉ0 अशोक कुमार यादव, उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/निदेशक (संयुक्त सचिव स्तर), स्वास्थ्य के निजी सहायक/उप सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव (प्रभारी प्रशाखा-5), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-5, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/लेखापाल, लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


16.3.17

सरकार के उप सचिव